छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय: बिलासपुर

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 7070/2006

याचिकाकर्तागण:

1. श्रीमती मिथिला दुबे, आयु 37 वर्ष, पति स्व. प्रेमराज राजेश्वर दुबे।
2. पारसमणि दुबे (अवयस्क), आयु 17 वर्ष, पिता स्व. प्रेमराज राजेश्वर दुबे।
3. कु. खुशबू दुबे, आयु 13 वर्ष, पिता स्व. प्रेमराज राजेश्वर दुबे।
4. ऐश्वर्य दुबे, आयु 11 वर्ष, पिता स्व. प्रेमराज राजेश्वर दुबे।

(याचिकाकर्ता क्रमांक 2 से 4 की ओर से उनकी नैसर्गिक संरक्षिका एवं माता श्रीमती मिथिला दुबे, पति स्व. प्रेमराज राजेश्वर दुबे)।
सभी याचिकाकर्ता निवासी ग्राम छुरी, तहसील कटघोरा, जिला कोरबा (छ.ग.)।

विरुद्ध

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उत्तरवादीगण:

1. छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल, द्वारा सचिव, मुख्यालय डगनिया, रायपुर (छ.ग.)।
2. अधीक्षण अभियंता (मुख्यालय), कार्यालय मुख्य अभियंता, एच.टी.पी.एस., सी.एस.ई.बी., कोरबा (पश्चिम), जिला कोरबा (छ.ग.)।
3. कार्यपालन अभियंता (सिविल), एच.टी.पी.एस., सी.एस.ई.बी., कोरबा (पश्चिम), जिला कोरबा (छ.ग.)।
4. श्रीमती शांति बाई, पति रामचंद्र गोंड।
5. विनोद कुमार, पिता रामचंद्र गोंड।

दोनों निवासी ग्राम कंकना, थाना बांगो, तहसील कटघोरा, जिला कोरबा (छ.ग.)।

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन प्रस्तुत रिट याचिका)

एकल न्यायपीठ: माननीय श्री सतीश के. अग्निहोत्री, न्यायाधीश

उपस्थिति:

याचिकाकर्तागण के लिए श्री आर.के. केशरवानी, अधिवक्ता।

उत्तरवादी क्रमांक 1 से 3 के लिए श्री अभिषेक सिन्हा, अधिवक्ता।

उत्तरवादी क्रमांक 4 एवं 5 के लिए श्री एच.बी. अग्रवाल, वरिष्ठ अधिवक्ता साथ में सुश्री रिंकी ताम्रकार, की अधिवक्ता।

-- मौखिक आदेश --

(दिनांक 01.09.2008 को पारित)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

1. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं की सहमति से, इस याचिका पर अंतिम सुनवाई की गई।

2. यह प्रकरण मृत कर्मचारी की दो पत्नियों और उनके बच्चों के मध्य सेवानिवृत्ति लाभों और कुटुंब पेंशन प्रदान किये जाने से संबंधित है।

3. आदेश दिनांक 08.07.2008 द्वारा, पक्षकारों की सहमति से, प्रकरण को छत्तीसगढ़ सिविल प्रक्रिया वैकल्पिक विवाद समाधान और मध्यस्थता नियम, 2006 के उपबंधों के अधीन मध्यस्थता हेतु संदर्भित किया गया था।

4. इस याचिका में निहित विवाद को मध्यस्थता में निम्नलिखित रीति से सुलझा लिया गया है और वह इस आदेश का भाग होगा:

> "यह कि, प्रथम पक्ष, स्व. प्रेमराज राजेश्वर दुबे, जो छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल, कोरबा के कार्यालय में भृत्य थे और जिनकी सेवाकाल के

दौरान मृत्यु हो गई है, के वारिस अपने पक्ष में कुटुंब पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों के भुगतान की मांग कर रहे हैं तथा विधि के अनुसार अनुकंपा आधार पर नियुक्ति की भी मांग कर रहे हैं।

यह कि, द्वितीय पक्ष को व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, कटघोरा द्वारा उत्तराधिकार प्रकरण क्रमांक 16/04 में पारित आदेश दिनांक 28.02.2006 के माध्यम से छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल, कोरबा से ₹2,10,023/- की राशि प्राप्त करने हेतु उत्तराधिकार प्रमाणपत्र जारी करने का आदेश दिया गया था, जिसे जिला न्यायाधीश, कोरबा ने प्रथम पक्ष द्वारा आदेश दिनांक 28.02.2006 के विरुद्ध प्रस्तुत विविध सिविल अपील क्रमांक 2/04 को आदेश दिनांक 07.07.2006 द्वारा खारिज करते हुए यथावत रखा था।

यह कि, द्वितीय पक्ष उत्तराधिकार प्रकरण क्रमांक 16/04 में आदेश दिनांक 28.02.2006 द्वारा उन्हें प्रदत्त उत्तराधिकार प्रमाणपत्र के आधार पर सेवानिवृत्ति उपरांत देय लाभों और अनुकंपा नियुक्ति का दावा कर रहे हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

यह कि, प्रथम पक्ष ने अपर जिला न्यायाधीश, कटघोरा, जिला कोरबा (छ.ग.) के समक्ष घोषणा और व्यादेश हेतु एक व्यवहार वाद क्रमांक 7ए/07 भी प्रस्तुत किया है, जो उक्त न्यायालय में लंबित है।

यह कि, पक्षकार श्रीमती मिथिला दुबे और श्रीमती शांति बाई, जो स्व. प्रेमराज राजेश्वर दुबे की वारिस हैं, उपस्थित हुईं और मध्यस्थता कार्यवाही में भाग लिया। सुविधा के लिए, पक्षकारों को संयुक्त रूप से और अलग-अलग तथा मध्यस्थता प्रक्रिया के अनुसार उनके अधिवक्ताओं की उपस्थिति में सुना गया। दोनों पक्षकार एक समझौते के माध्यम से अपने विवाद को हल करने के लिए सहमत हुए। पक्षकारों ने बिना किसी दबाव, धमकी, अवैध वादे और मिलीभगत के अपनी सहमति दी और उपरोक्त आधार पर सेवानिवृत्ति लाभ, कुटुंब पेंशन और अनुकंपा नियुक्ति के अनुदान के संबंध में विवाद के न्यायनिर्णयन हेतु पक्षकारों के मध्य निम्नलिखित समझौता हुआ है।

-- अनुबंध / समझौता -

अनुबंध/समझौते के नियम एवं शर्तें निम्नानुसार हैं:

(i) यह कि, प्रथम पक्ष छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल, कोरबा, जिला कोरबा (छ.ग.) के कार्यालय से छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1976 के नियम 47 के अनुसार कुटुंब पेंशन प्राप्त करेगा।

(ii) यह कि, स्व. प्रेमराज राजेश्वर दुबे की कुटुंब पेंशन प्रथम पक्ष द्वारा प्राप्त की जाएगी और वर्ष 2004 से, अर्थात स्व. प्रेमराज राजेश्वर दुबे की मृत्यु की तिथि से आज तक की उक्त कुटुंब पेंशन के बकाया राशि में से प्रथम पक्ष द्वितीय पक्ष को ₹30,000/- की राशि का संदाय करेगा।

(iii) यह कि, द्वितीय पक्ष मृत्यु दावा राशि (उपादान आदि) ₹2,10,023/- प्राप्त करेगा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(iv) यह कि, प्रथम पक्ष अपर जिला न्यायाधीश, कटघोरा, जिला कोरबा (छ.ग.) के न्यायालय में लंबित व्यवहार वाद क्रमांक 7ए/07 को प्रत्याहृत करेगा।

(v) यह कि, प्रथम पक्ष को छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल, कोरबा के कार्यालय में श्री प्रेमराज राजेश्वर दुबे, जिनकी छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल, कोरबा के कार्यालय में भृत्य के रूप में कार्य करते हुए सेवाकाल में मृत्यु हो गई थी, की मृत्यु के कारण अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति हेतु आवेदन करने का अधिकार और स्वतंत्रता होगी, और द्वितीय पक्ष को इस प्रकार प्रस्तुत किए गए आवेदन पर कोई आपत्ति नहीं होगी।

(vi) यह कि, दोनों पक्षकार किसी भी ऐसी राशि के संबंध में कोई दावा नहीं करेंगे, जिसका निपटारा उनके बीच इस अनुबंध के माध्यम से छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल, कोरबा के कार्यालय से किया गया है।

यह कि, कार्यवाही के दोनों पक्षकारों ने उनके द्वारा मांगे गए लाभों के आधार पर उपरोक्त अनुबंध के नियमों और शर्तों पर सहमति व्यक्त की है। इस अनुबंध की अंतर्वस्तु पक्षकारों को हिंदी में पढ़कर सुनाई गई और समझाई गई है तथा उन्होंने इसे पूरी तरह से समझ लिया है।

पक्षकारों को अनुबंध के किसी भी नियम और शर्त पर कोई आपत्ति नहीं है।

यह कि, मध्यस्थता कार्यवाही एतदद्वारा पूर्ण होती है। दोनों पक्ष अनुबंध के नियमों और शर्तों का पालन करने के लिए बाध्य होंगे।"

	पक्षकार क्रमांक I	**पक्षकार क्रमांक II**
1.	(हस्ताक्षर) श्रीमती मिथिला दुबे	(हस्ताक्षर) श्रीमती शांति बाई
2.	(हस्ताक्षर) पारसमणि दुबे (अवयस्क)	(हस्ताक्षर) विनोद कुमार
3.	(हस्ताक्षर) कु. खुशबू दुबे (अवयस्क)	
4.	(हस्ताक्षर) ऐश्वर्या दुबे (अवयस्क)	

मेरे द्वारा पहचाना गया:
(हस्ताक्षर)
आर.के. केशरवानी, अधिवक्ता

मेरे द्वारा पहचाना गया:
(हस्ताक्षर)
पंकज अग्रवाल, अधिवक्ता, बिलासपुर (छ.ग.)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(हस्ताक्षर)
(श्रीमती फौजिया मिर्जा)
मध्यस्थ, 19.08.08
मध्यस्थता केंद्र,
उच्च न्यायालय परिसर, बिलासपुर।

दिनांक 19.08.2008

यह कि, प्रथम पक्ष और द्वितीय पक्ष के बीच विवाद मध्यस्थता प्रक्रिया के माध्यम से हल हो गया है और तृतीय पक्ष (विद्युत मंडल) को प्रथम और द्वितीय पक्ष के बीच अनुबंध की शर्तों पर कोई आपत्ति नहीं है।

(हस्ताक्षर)
(श्री अभिषेक सिन्हा)
छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल के अधिवक्ता, बिलासपुर (छ.ग.)

5. तदनुसार आदेश दिया जाता है। पक्षकार मध्यस्थता की शर्तों का पालन करेंगे।

6. पूर्वोक्त के आलोक में, याचिका निराकृत की जाती है।

7. परिणामस्वरूप, पूर्व में पारित अंतर्वर्ती आदेश अपास्त किया जाता है। लंबित आवेदन, यदि कोई हों, वे भी निराकृत किए जाते हैं।

सही/-
सतीश के. अग्निहोत्री
न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

====0000====

(Translation has been done with the help of AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण: हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**